न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 99/2019 G.C.M.S. No. 2019/00457 दर्ज दिनांक : 30.12.2019

अपीलार्थी:

1. दिलीपसिंह पुत्र स्व. किशनसिंह, जाति राजपूत, निवासी मुण्डारा, तहसील बाली व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. स्व. मदनसिंह के का.मु. वारिसानः–
   1/1 कैलाशकंवर पत्नि स्वर्गीय मदनसिंह
   1/2 स्वर्गीय भैरूसिंह पुत्र स्वर्गीय मदनसिंह के का.मु. वारिसानः–
   1/2/1 भगवतीकंवर पत्नि स्वर्गीय भैरूसिंह
   1/2/2 गिरिराजसिंह पुत्र स्वर्गीय भैरूसिंह, तमाम जातिगण राजपूत, निवासीगण मुण्डारा, तहसील बाली व जिला पाली।
2. दौलतराम पुत्र खंगार, जाति चौधरी, निवासी गुडा कल्याणसिंह, तहसील बाली व जिला पाली।
3. खुमाराम पुत्र खंगार, जाति चौधरी, निवासी गुडा कल्याणसिंह, तहसील बाली व जिला पाली।
4. तहसीलदार भूमिधारी बाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 35/2017 बअनवान दिलीपसिंह बनाम मदनसिंह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.12.2019

पैरोकार–

1. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री नवीन दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

निर्णय

दिनांकः 23.12.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 35/2017 बअनवान दिलीपसिंह बनाम मदनसिंह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.12.2019 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अपीलांट वादी द्वारा राजस्व वाद इस आशय का पेश किया कि खसरा संख्या 886, 887, 888, 889, 890, 892 कुल रकबा 107 बीघा 3 बिस्वा ग्राम मुण्डारा में स्थित हैं। उक्त कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार मोतीसिंह पुत्र अमरसिंह थें। जिनका गौदी पुत्र अचलसिंह हैं व अचल सिंह का पुत्र किशनसिंह हैं व किशनसिंह की मृत्यु हो चुकी हैं। वादी किशनसिंह का पुत्र है तथा कृषि भूमि उपरोक्त वर्णित खसरान की अपीलांट

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

वादी के दादा मोतीसिंह की स्थित रही हैं व मोतीसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में इस कृषि भूमि को किसी को भी जरिये पंजीयन बेचाण व अन्य किसी भी हस्तान्तरण दस्तावेजात के हस्तान्तरित नही की तथा उक्त कृषि भूमि श्री मोतीसिंह जी द्वारा अपनी पत्नी हिरकंवर को स्वयं के भरण पोषण के लिये दी गई थीं तथा उक्त कृषि भूमि का हस्तान्तरण नहीं किया तथा कब्जा स्वर्गीय मोतीसिंह द्वारा अपने पास रखा तथा भरण पोषण करने के लिये कृषि भूमि से आय का साधन हीरकंवर के लिये रखा गया। हीर कंवर के पक्ष में लिखित भरण पोषणनामा लिखा गया जो दिनांक 9.10.1950 का हैं तथा उक्त भूमि स्वर्गीय मोतीसिंह के जागीरदारी की थीं व जागीर रिज्युम होने के बाद उक्त कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार स्वर्गीय मोतीसिंह जी बने व मोतीसिंह जी की ही खातेदारी की कृषि भूमि रही। परन्तु उक्त कृषि भूमि का म्यूटेशन संख्या 108 दिनांक 01.12.1962 को हिरकंवर के नाम विधि विरूद्ध तरीके से दर्ज हो गया। मोतीसिंह जी की मृत्यु निर्वसीयती हुई। इस कारण अपीलांट का अपीलाधीन कृषि भूमि में हित निहित है तथा उक्त कृषि भूमि को रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 24.07.1970 को विधि विरूद्ध तरीके से हस्तान्तरित कर दिया, जो दस्तावेज प्रारम्भ से शून्य व अस्तित्व रहित है व इसी कारण अपीलांट वादी द्वारा अपने हकों की घोषणा के लिये धारा 53, 89, 188 का वाद विरूद्ध रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 के विरूद्ध पेश किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में आदेश 7 रूल 11 का प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन किया कि वाद विधि द्वारा वर्जित है तथा वाद हेतुक वादी के पक्ष में पैदा नहीं हुआ है। इस कारण से वाद आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज फरमाया जावें। अपीलांट द्वारा अपना जवाब पेश किया तथा वाद हेतुक पैदा होने व विधि द्वारा वर्जित नहीं होने के कारण राजस्व न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार होने का अभिवचन कर जवाब पेश किया, परन्तु दावा वादी खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं कि खसरा संख्या 886 से 890 तथा 892 के नया खसरा संख्या 1148, 1149, 1150, 1151 है। उक्त खसरों का नये व पुराने होने का अस्तित्व का विवाद नहीं हैं। चूंकि अपीलांट द्वारा अपने वाद में जो कथन किये है वह शून्य व अस्तित्व रहित दस्तावेज होने तथा म्यूटेशन को निरस्त किये जाने की डिक्री प्रदान करने के लिये दावा पेश किया गया तथा घोषणा का दावा ही वाद में वर्णित धाराओं के अनुसार पेश किया गया। उक्त दावा विधि के अनुसार राजस्व न्यायालय के सुनवाई के क्षेत्राधिकार का है। परन्तु बावजूद इसके भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रावधानों के तहत खारिज कर दिया जो विधि के प्रावधानों के विरुद्ध हैं। अधिनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के बाद रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष मे पंजीयन बेचाण कर दिया जो पंजीयन बेचाण विधि के प्रावधानों के विरूद्ध है तथा प्रतिवादी को बेचाण वाद प्रस्तुति के बाद करने का अधिकार नहीं था तथा बेचाण धारा 52 टी.पी.एक्ट के प्रावधानों से हिट करता है तथा बेचाण जो रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में किया गया है वह शुन्य है तथा रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 व 3 मौके व रेकर्ड की स्थिति में परिवर्तन करने हेतु आमादा है। इस कारण अपील में भी पक्षकार बनाया गया है। अपीलांट के अपीलाधिन कृषि भूमि में हित निहित है तथा जो उजर उठाये गये हैं। ये मिक्स फेक्ट एण्ड लॉ हैं। आदेश 7 नियम 11 के स्कोप से बाहर है तथा अधिनस्थ न्यायालय में जो नजीर प्रस्तुत की गई वह चस्पा नहीं होती हैं। वाद की प्लीडिंग से वाद हेतुक प्रकट होता है। सम्पूर्ण वाद के अभिवचन पढ़ने योग्य है व दस्तावेज की गलत इन्द्राज के कारण अपीलांट को इनके हित से वंचित नहीं किया जा सकता तथा जो उज्र प्रार्थना पत्र में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने उठाये हैं, इसके आधार पर भी वाद चलने योग्य नहीं हैं तथा वाद तथ्य व विधि की भूल से खारिज किया गया है। इस कारण से निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किएः–

1. DNJ 2025 (2) Raj. 449
2. DNJ 2019 S.C. 115
3. DNJ 2022 (2) Raj. 571
4. RRT 2016-17 (Supp.) 605
5. CCC 2021 (1) 022

हमनें विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया तथा प्रकरण के सम्यक न्याय–निर्णयन में यथोचित मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट द्वारा प्रतिवादी रेस्पोंडेंट के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में वादपत्र अंतर्गत धारा 53, 88, 89, 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अंतर्गत वाद हैतुक उत्पन्न नहीं होने तथा विधि के प्रावधानों से बाधित होने के आधार पर खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।

2. वादी द्वारा वादपत्र में मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि वादी के परदादा मोतीसिंह द्वारा वादी के दादा अचलसिंह को दिनांक 28.02.1955 को जरिये रजिस्टर्ड गोद लिया था तथा मोतीसिंह द्वारा हीरकंवर को भरण–पोषण हेतु बेरा दिया था। वादग्रस्त आराजी नहीं दी थीं। हीरकंवर पत्नि मोतीसिंह द्वारा वादग्रस्त आराजीयात मदनसिंह पुत्र प्रतापसिंह को दिनांक 27.04.1970 को पंजीकृत बख्शीशनामा से बख्शीश कर दी। जिनका उन्हें कोई अधिकार नहीं था, के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु मुख्य अनुतोष के साथ वादपत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी को पंजीकृत बख्शीशनामा दिनांक 27.04.1970 से प्राप्त होने, वादी द्वारा बख्शीशनामा को निरस्त करने का अनुतोष चाहने तथा ऐसा अनुतोष राजस्व न्यायालय को प्रदान करने का अधिकार नहीं होने के आधार पर वादपत्र में वादकारण प्रकट नहीं होने व विधिनुसार वाद चलने योग्य नहीं होने के आधार पर वादपत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया।

3. हमारे विनम्र मत में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अंतर्गत केवल वादपत्र का अवलोकन मात्र अपेक्षित होता है तथा इस स्तर पर दस्तावेजात या साक्ष्य के स्तर पर किसी प्रकार का विचारण अनुमत नहीं होता है।

4. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात हीरकंवर द्वारा पंजीकृत बख्शीशनामा के आधार पर अंतरित कर दिए जाने, राजस्व न्यायालय को पंजीकृत दस्तावेज शून्य घोषित करने का अधिकार नहीं होने के आधार पर वादपत्र खारिज किया गया। जबकि वादपत्र के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि वादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात मोतीसिंह पुत्र अमरसिंह की खातेदारी आराजी होने, मोतीसिंह द्वारा अचलसिंह को पंजीकृत गोदनामा से गोद लेने एवं वादी अचलसिंह का पुत्र होने एवं मोतीसिंह द्वारा अपनी पत्नि हीरकंवर को हाथ–खर्च के रूप में केवल बेरा अंतरित करने, वादग्रस्त आराजीयात की शेष भूमि अंतरित नहीं करने के बावजूद गलत रूप से हीरकंवर के नाम दर्ज होने तथा हीरकंवर द्वारा उक्त प्रविष्टियों के आधार पर प्रतिवादी के नाम पंजीकृत बख्शीशनामा निष्पादित किये जाने, जिसका हीरकंवर को अधिकार नहीं होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों का मुख्य अनुतोष चाहा है। वादपत्र द्वारा वादी ने पंजीकृत बख्शीशनामा के निरस्तीकरण का मुख्य अनुतोष नहीं चाहा गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की तृतीय अनुसूची के अंतर्गत खातेदारी अधिकारों की घोषणा के अनुतोष से संबंधित वादपत्र का

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार एकमेव राजस्व न्यायालय को ही प्राप्त है। अतः इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय का अभिमत पुष्टियोग्य नहीं हैं। प्रकरण में विधि व तथ्य से संबंधित सारवान प्रश्न विद्यमान है। जिनका निस्तारण साक्ष्य उपरांत ही गुणावगुण के आधार पर संभव है। अतः वादपत्र इस स्तर पर किसी भी विधि से बाधित नहीं हैं। साथ ही वादी द्वारा वादपत्र के पैरा संख्या 6 व 8 में वादकारण का स्पष्ट उल्लेख किया है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में विधिक रूप से त्रुटि कारित की हैं। जो पुष्टि योग्य नहीं हैं।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त कर प्रकरण को विधिनुरूप निर्णित करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 35/2017 बअनवान दिलीपसिंह बनाम मदनसिंह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.12.2019 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण को जवाबदावा प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में विवाद्यक विरचित कर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए आदेश 20 नियम 5 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक विधिक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रकरण को विधिनुरूप निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्ता पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 28.01.2026 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर बाली में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner